लोक सदन
गांधीवादी सिद्धांतों का संवाहक...
बिलासपुर / सरगुजा संभाग
https://epaper.dainikloksadan.com
कोरबा, गुरूवार 20 अगस्त 2026
2

लाइफ लाइन एक्सप्रेस से मिल रही है नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा

- अब तक 1944 मरीजों की जांच, 1820 नेत्र एवं 124 स्त्री रोग के मरीज शामिल
- 5 सितंबर तक जारी रहेगी सेवा, कलेक्टर ने जिलेवासियों से अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की

लोकसदन ➤➤ सूरजपुर।

इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन का लाइफ लाइन एक्सप्रेस विश्रामपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-02 पर जिलेवासियों को नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं शल्य चिकित्सा की सुविधा प्रदान कर रहा है। 16 अगस्त से शुरू हुए स्वास्थ्य शिविर में अब तक कुल 1944 मरीजों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 1820 नेत्र रोग तथा 124 स्त्री रोग से संबंधित मरीज शामिल हैं। नेत्र रोग से संबंधित मरीजों में अब तक मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन किया जा रहा है। स्त्री रोग के अंतर्गत स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच एवं स्क्रीनिंग 16 से 21 अगस्त तक की जा रही है। इस दौरान अब तक 124 महिलाओं की जांच की जा चुकी है।

इस चलित अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच एवं उपचार किया जा रहा है। शिविर में प्रतिदिन सुबह 09:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक ओपीडी संचालित हो रही है। नेत्र रोग के अंतर्गत 16 से 21 अगस्त तक आंखों की जांच तथा 17 से 22 अगस्त तक सर्जरी की जा रही है। मोतियाबिंद एवं दृष्टिदोष से संबंधित मरीजों को आवश्यकतानुसार शल्य चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है। सर्जरी के बाद मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां एवं चश्मा भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त कान की जांच, मध्य कर्ण शल्य क्रिया एवं ऑडियोमेट्री के लिए 22 से 27 अगस्त तक जांच तथा 23 से 28 अगस्त तक ऑपरेशन किए जाएंगे। मुड़े हुए हाथ-पैर, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अस्थि सुधार सर्जरी तथा प्लास्टिक सर्जरी के लिए 28 से 31 अगस्त तक जांच और 29 अगस्त से 01 सितंबर तक ऑपरेशन निर्धारित हैं। दांतों की जांच एवं उपचार 01 से 05 सितंबर तक किया जाएगा।

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने जिलेवासियों से अपील की है कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस के माध्यम से जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उनके घर के निकट उपलब्ध हुई हैं। उन्होंने नागरिकों से इस नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

शिविर में आने वाले मरीजों के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी अथवा अन्य वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। भर्ती होने वाले मरीज के साथ केवल एक सहयोगी को रुकने की अनुमति होगी।

शिविर एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7039673973 अथवा कार्यक्रम समन्वयक योगेश के मोबाइल नंबर 8826547301 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्लेसमेंट में कर्मचारियों की भर्ती हेतु नपा अध्यक्ष ने की मांग

लोकसदन ➤➤ सूरजपुर।

जिला मुख्यालय के प्रमुख नगरीय निकाय नगर पालिका परिषद सूरजपुर में तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी के चलते विकास कार्यों के प्रभावित होने की स्थिति सामने आई है। नगर पालिका अध्यक्ष कुसुमलता राजवाड़े ने जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल को पत्र भेजकर तीन उप अभियंताओं की नियुक्ति तथा 15 अतिरिक्त प्लेसमेंट कर्मचारियों की भर्ती की स्वीकृति देने की मांग की है।

अध्यक्ष के अनुसार, नगर पालिका क्षेत्र में अधोसंरचना मद से करीब 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत हैं। इसके अलावा निकाय मद से भी विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यों की निगरानी, तकनीकी जांच और समय पर क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त तकनीकी अमला जरूरी है, लेकिन वर्तमान में अधिकांश कार्यों का दारोमदार महज एक उप अभियंता पर है। ऐसे में निर्माण कार्यों की गति के साथ उनकी प्रभावी निगरानी को लेकर भी दबाव बना हुआ है।

स्वीकृत पदों के बावजूद कर्मचारियों की कमी:-नगर पालिका के स्वीकृत सेटअप के अनुसार यहां एक एसडीओ तथा चार उप अभियंताओं के पद स्वीकृत हैं। वहीं प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए कुल 57 पदों का सेटअप है। नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि जिला मुख्यालय होने के कारण यहां सामान्य नगरीय कार्यों के साथ अतिरिक्त प्रशासनिक एवं विकास संबंधी जिम्मेदारियां भी रहती हैं। ऐसे में वर्तमान उपलब्ध मानव संसाधन पर्याप्त नहीं है।

अध्यक्ष ने प्रभारी मंत्री से मांग की है कि नगर पालिका में लंबित एवं स्वीकृत विकास कार्यों को गति देने तथा नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों के बेहतर संचालन के लिए तीन उप अभियंताओं की नियुक्ति और 15 अतिरिक्त प्लेसमेंट कर्मचारियों की भर्ती को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाए। कर्मचारियों की कमी के बीच करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन नगर पालिका के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब अध्यक्ष की मांग पर शासन स्तर से क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर नजर बनी हुई है।

वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर गूंजा राष्ट्रभक्ति का संदेश

लोकसदन ➤➤ कोरबा।

राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना (रासेयो) प्रकोष्ठ, शासकीय इंजीनियर विश्वेसरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा द्वारा 7 से 17 अगस्त तक विभिन्न राष्ट्रभक्ति एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महाविद्यालय परिसर, अम्बेडकर हॉल एवं कोरबा शहर में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता, देशभक्ति एवं नागरिक कर्तव्यों का संदेश दिया गया।

आयोजन आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, राज्य एनएसएस अधिकारी डॉ. नीता वाजपेयी, कार्यक्रम समन्वयक रासेयो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर डॉ. मनोज सिन्हा तथा जिला प्रशासन कोरबा के निर्देशों के परिपालन में किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एल.एन. कंवर के संरक्षण एवं निर्देशन तथा रासेयो कार्यक्रम अधिकारी श्री अजय कुमार पटेल एवं श्रीमती मधु कंवर के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रभक्ति रैली, निबंध लेखन, नारा लेखन, विचार गोष्ठी, रंगोली, पोस्टर प्रेजेंटेशन, तिरंगा यात्रा एवं नुक्कड़ नाटक सहित विविध गतिविधियां आयोजित की गईं। रैली एवं तिरंगा यात्रा में स्वयंसेवकों ने देशभक्ति नारों के साथ राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नागरिक कर्तव्यों एवं राष्ट्रप्रेम के प्रति जागरूक किया गया। निबंध, नारा लेखन, रंगोली एवं पोस्टर प्रेजेंटेशन में विद्यार्थियों ने रचनात्मक प्रतिभा के माध्यम से 'वंदे मातरम' के महत्व और राष्ट्रभक्ति की भावना को अभिव्यक्त किया। विचार गोष्ठी में राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक महत्व एवं वर्तमान प्रासंगिकता पर चर्चा हुई। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. एल.एन. कंवर ने कहा कि 'वंदे मातरम् भारत की मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। इसकी 150वीं वर्षगांठ युवाओं को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराने का महत्वपूर्ण अवसर है। रासेयो कार्यक्रम अधिकारी श्री अजय कुमार पटेल ने कहा कि 'विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को देश के गौरवशाली इतिहास और राष्ट्रनिर्माण से जोड़ने का प्रयास किया गया। राष्ट्रप्रेम को सामाजिक एवं नागरिक दायित्वों के निर्वहन से जोड़ना ही आयोजन का उद्देश्य है।

कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती मधु कंवर ने कहा कि 'इस आयोजन से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मूल्यों, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से जुड़ने का अवसर मिला। स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी सराहनीय रही। पूरे आयोजन के दौरान महाविद्यालय परिसर से लेकर कोरबा शहर तक 'वंदे मातरम' की गूंज और राष्ट्रभक्ति का उत्साह देखने को मिला। रासेयो स्वयंसेवकों ने विविध गतिविधियों के माध्यम से युवा शक्ति को राष्ट्रनिर्माण से जोड़ने तथा राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का सार्थक संदेश दिया। कार्यक्रमों को सफल बनाने में महाविद्यालय के प्राध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित छात्र-छात्राओं का सराहनीय सहयोग रहा। सभी ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सावन में शिव भक्ति का उत्साह, सालर से गोडा तक निकलेगी भव्य कांवड़ पदयात्रा

लोकसदन ➤➤ सारंगढ़ बिलाईगढ़।

सावन माह के पावन अवसर पर क्षेत्र में शिवभक्ति का माहौल बना हुआ है। शिव भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अपने-अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन एवं पूजन कर रहे हैं।

इसी कड़ी में सालर क्षेत्र के शिव भक्तों द्वारा सालर के डोंगा घाट लात नाला से प्रसिद्ध शिव मंदिर गोडा तक पदयात्रा करने की तैयारी की जा रही है। इस आयोजन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। श्रद्धालु डोंगा घाट से जल लेकर सेमरापाली, शक्ति बाजार, खरवानी छोटे और बनहर होते हुए स्वयंभु शिवलिंग गोडा पहुंचेंगे।

यह भव्य कांवड़ शोभा यात्रा सावन के आखिरी सोमवार 24 अगस्त को सुबह 8 बजे डोंगा घाट सालर से प्रारंभ होगी। यात्रा में शिव भक्त कांवड़, बाल्टी, डिब्बा एवं अन्य जलपात्र लेकर शामिल होंगे। कांवड़ यात्रा डीजे के साथ शिवभक्ति एवं धार्मिक गीतों के बीच श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे।

आयोजकों ने क्षेत्र के सभी शिव भक्तों एवं श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाने और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है।

जीवन दीप समिति की साधारण सभा संपन्न, खाद्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के दिए निर्देश

लोकसदन ➤➤ सूरजपुर।

जिला संयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आज जीवन दीप समिति की साधारण सभा की बैठक जिले के प्रभारी एवं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा समिति के आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिस पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आमजन को बेहतर और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में जनसमुदाय की आवश्यकता के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अस्पताल भवन एवं परिसर में आवश्यक निर्माण तथा मरम्मत कार्य, मरीजों एवं उनके परिजनों की सुविधा, अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के विषयों पर विचार किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं कार्य अवधि में वृद्धि सहित अन्य आवश्यकताओं पर भी चर्चा हुई। विभिन्न एजेंडों पर विचार-विमर्श के उपरांत आवश्यक कार्यों की पूर्ति एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए।

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अधिकारियों को प्रस्तावित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यकता के अनुरूप योग्य कर्मचारियों को अनुमोदन प्राप्त कर कार्य पर रखने, चिकित्सकों की अस्पताल में नियमित उपस्थिति एवं निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही शासकीय चिकित्सकों को जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने की हिदायत देते हुए निजी प्रैक्टिस से दूर रहने की नसीहत दी। उन्होंने मौसमी बीमारियों की दवाइयों की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित रखने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणी देवपाल सिंह पैकरा, नगर पालिका परिषद सूरजपुर अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता राजवाड़े, मुरली मनोहर सोनी, राजेश्वर तिवारी, अजय अग्रवाल, अरविंद मिश्रा पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र सिंह पाटले, सीएमएचओ डॉ. कपिल पैकरा सहित जीवन दीप समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधिगण एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यालय कलेक्टर जिला कोरबा (छ.ग.) एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-: प्रारंभिक अधिसूचना :-

क्र./3661/भू-अर्जन/2023110529000001 में 82/2026 कोरबा. दिनांक 10/08/26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनूसुची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	ख.नं.	क्षेत्रफल (हे.में)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	बरपाली	सुखरीखुर्द 15	88	0.3030	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत बधोदा माइनर नहर के निर्माण/ विस्तार हेतु
			89/1	0.0789		
			89/2	0.0611		
			98/1	0.0842		
			98/2	0.0120		
			99	0.0735		
			100/4	0.0042		
			116/1	0.1300		
			125	0.0692		
			126	0.0361		
			338/1	0.1042		
			338/5	0.0611		
			359/2	0.0775		
			359/3	0.0082		
			359/4	0.0483		
			360	0.0749		
			361/3	0.0122		
			362/2	0.0082		
			363/1	0.0724		
			363/2	0.1551		
			363/3	0.0668		
			365/1	0.0376		
			365/4	0.0453		
		योग	23	1.6240		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाधात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाधात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा जिला कोरबा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा, जिला-कोरबा

(कुणाल दुदावत) कलेक्टर जिला कोरबा छ.ग. शासन एवं पदेन उप सचिव छग शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

G- 262702850/2

राधासागर तालाब कटघोरा मे बाढ़ बचाव और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कोहड़िया में गैस लिकेज मॉक ड्रील का आयोजन आज

लोकसदन ➤➤ सूरजपुर।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार जिला आपदा प्रबंधन के संयुक्त तत्वाधान में जिला प्रशासन द्वारा 20 अगस्त दिन गुरुवार को प्रात: 10 बजे राधासागर तालाब कटघोरा में बाढ़ बचाव के संबंध में मॉक ड्रील का आयोजन किया गया है। इसी तरह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कोहड़िया कोरबा में दोपहर 12 बजे गैस लिकेज के संबंध में मॉक ड्रील आयोजित किया जायेगा।

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)

।। ईश्तहार ।।

रा.प्र.क्र. /ब-121/2020-21
ग्राम-कोरबा, प.ह.नं.-13

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका अब्दुल रज्जाक मेमन पिता/पति हाजी मोहम्मद जाति मुस्लिम निवासी गफ्फार गली कोरबा तहसील कोरबा जिला-कोरबा द्वारा अपने पुत्री मेमन रेशमा सलीम का दिनांक 10/08/1980 को जन्म होने का उल्लेख करते हुए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने बाबत् आवेदन पत्र मय दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपना दावा / आपत्ति इस न्यायालय में नियत तिथि दिनांक 21/07/26 तक स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 01/07/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुद्रा से जारी।

तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी कोरबा

सील

शपथ पत्र

मैं सरस्वती दीवान, उम्र लगभग 49 वर्ष पिता शत्रुहन दास मानिकपुरी निवासी आरामशीन कोरबा (छ.ग.) का होकर शपथ पूर्वक निम्न कथन करती हूँ -

यह कि मैं उपरोक्त पते पर स्थायी रूप से निवासरत हूँ तथा मेरा आधार कार्ड नं. 405692068653 है। यह कि मेरी माँ फेकन बाई मानिकपुरी का मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिक निगम कोरबा से बना है जिसमें उनके माता श्रीमती धीरजा बाई पिता मिस्त्री दास दर्ज नहीं किया गया है। नगर पालिक निगम कोरबा के द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में मेरी माँ का नाम धीरजा बाई एवं पिता का नाम मिस्त्री दास दर्ज कराना चाहता हूँ। यह की यह शपथ पत्र मेरी माँ के मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार के लिए संबंधित विभाग में प्रस्तुत करने हेतु निष्पादित किया गया है। जिस किसी व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय प्रमाण पत्र सहित विज्ञापन प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार नगर निगम कार्यालय में पेश कर सकते है। अवधि पश्चात मान्य नहीं किया जावेगा।

शपथकर्ता
सरस्वती दीवान
निवासी-आरामशीन कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

।। ईश्तहार ।।

रा.प्र.क्र. 202608050600012
श्रेणी-अ-6 वर्ष 2025-26
ग्राम कोरबा, प.ह.नं.-16

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका गीता सिंह पति स्व. रंजीत सिंह ठाकुर वगैरह, निवासी पुरानी बस्ती बर्फ फैक्ट्री कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा आवेदिका गण के पिता रंजीत सिंह ठाकुर एवं अन्य खातेदार के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम कोरबा प.ह.नं. 16 रा.नि.मं. कोरबा, तहसील व जिला कोरबा में स्थित भूमि ख.नं. 1013/3 रकबा 0.570 हे. भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। आवेदिका गण के पिता रंजीत सिंह की मृत्यु दिनांक 25/11/2025 को हो जाने के फलस्वरूप उक्त भूमि को विधिक वारिसानों के नाम से फौती नामांतरण किये जाने बाबत् छ.ग.भू.रा. संहिता 109 110 के तहत इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपना दावा/आपत्ति इस न्यायालय में नियत तिथि दिनांक 27/08/2026 तक स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुद्रा से जारी।

सील

तहसीलदार कोरबा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / Central Bank of India

शाखाः डोमन हील कोलियरी (छ.ग.) / Branch: Doman Hill Colliery (C.G.)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बंधक रखी गई अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचनाः

आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया" के पास बंधक रखी गई है, जिसका भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा (संपत्ति के सामने विशेष रूप से उल्लिखित) सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बंधक समझौते के तहत लिया गया है, नीलामी के लिए रखी जाएगी तथा इसे नीचे उल्लिखित **"जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" तथा "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) से सुरक्षित ऋणदाता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देय राशि की वसूली की जा सके। संबंधित सम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि नीचे उल्लिखित है।

स. क्र.	उधारकर्ताओं/ शाखा का नाम	संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण और संपत्ति के मालिक / कब्जा का प्रकार	मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि / कब्जा सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य / धरोहर जमा राशि / बोली वृद्धि राशि	शाखा नाम/ सम्पर्क व्यक्ति एवं सम्पर्क नंबर
01	**मेसर्स शान हार्डवेयर, प्रोप. श्री अजय कुमार गुप्ता** पुत्र स्व. कपूर चंद गुप्ता, बाजार पारा, पोंड़ी, , वार्ड नं. 6, पश्चिम चिरमिरी, जिला- मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर, छ.ग, पिन- 497773.	**श्री अजय गुप्ता** के नाम पर खसरा नं. 241/11 (वास्तविक खसरा नं. 241/1 का भाग), प.ह.नं. 6, ग्राम- चिताझोर, रा.नि.मं.- चिरमिरी, तहसील- चिरमिरी, जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, छत्तीसगढ़, पिन- 497773, क्षेत्रफल- 0.101 हेक्टेयर भूमि पर स्थित वह पूरी संपत्ति, जिसमें जमीन, इमारत, सुपर-स्ट्रक्चर, आम रास्ते और बैंक की शामिल सुरक्षित संपत्ति। **चौहद्दीः उत्तर-** सड़क, **दक्षिण-** बलराम की भूमि, **पश्चिम-** रामस्वरूप का मकान, **पूर्व-** किशोर कुमार गुप्ता का मकान।	22/05/2026 / ₹ 34,66,988.00 + उस पर ब्याज व अन्य व्यय / 29/07/2026	₹ 12,62,000/- / ₹ 1,26,200/- / ₹ 50,000/- / कोई SA दाखिल नहीं है	शाखाः डोमन हील / श्री सुभाष कुमार 82990 55860

निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
21/09/2026 सुबह 10:00 बजे से 4:00 बजे के बीच	22/09/2026, दोपहर 3:00 बजे तक।	22/09/2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक

ई-नीलामी "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ है आधार" पर आयोजित की जा रही है।

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के शीर्षक और दावों/ अधिकारों/ बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।

2. बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताएं पहले ही पूरी करनी होंगीः **चरण 1-** बोलीदाता/ क्रेता पंजीकरणः बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी पोर्टल **https://www.baanknet.com** पर पंजीकरण करना होगा। **चरण 2-** केवाईसी सत्यापनः बोलीदाता को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (इसमें दो कार्य दिवस लग सकते हैं)। **चरण 3 -** ईएमडी राशि का उसके ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरणः ई-नीलामी पोर्टल पर उत्पन्न चालान का उपयोग करके एनईएफटी/ ट्रांसफर का उपयोग करके फंड का ऑनलाइन/ ऑफ-लाइन हस्तांतरण। **चरण 1 से चरण 3** बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी तिथि से पहले काफी पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। पते के प्रमाण की प्रति, जिसके बिना बोली अस्वीकृत जा सकती है।

3. ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया अपनी बोलियां जमा करने और इसमें भाग लेने से पहले **https://www.baanknet.com** और सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी **www.centralbankofindia.co.in** देखें।

सफल बोली लगाने वाले को बोली की रकम का **25%** (**EMD** काटकर) सफल बोली लगाने वाले के ऐलान के अगले दिन और बाकी **75%** 15 दिनों के अंदर सेल इंटिमेशन लेटर में बताए गए अकाउंट में जमा करना होगा (जो उसे जारी किया जाएगा)। अगर वह सेल इंटिमेशन लेटर में बताई गई रकम जमा नहीं कर पाता है, तो पहले से जमा की गई रकम जब्त कर ली जाएगी और प्रॉपर्टी का नया ऑक्शन किया जाएगा। बोली लगाने वाले अपने ऑफिस/अपनी पसंद की जगहों से कोटेशन/बोली लगाकर ई-नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। हर बोली लगाने वाले को खुद इंटरनेट कनेक्टिविटी पक्की करनी होगी। बैंक/सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क की दिक्कतों, सिस्टम क्रैश होने, बिजली जाने वगैरह के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री

उधारकर्ताओं/गारंटरों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की ई-नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत की वसूली की जाएगी।

दिनांक : 20.08.2026 स्थानः डोमन हील (छ.ग.) प्राधिकृत अधिकारी / सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया